क्रम सं0 :

ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण
हेतु
आवेदन पत्र विवरणिका

वर्ष 2025–26 एवं 2026–27

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

Rs. 500.00 + 18% G.S.T.

विशेष सूचना

1. पंजीकरण/नवीनीकरण/उच्चीकरण वित्तीय वर्ष 2025–26 एवं 2026–27 तक (02 वर्ष) हेतु इस शर्त के साथ किया जाना प्रस्तावित है कि उक्त पंजीकरण अवधि में पंजीकरण की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व यदि सम्बन्धित ठेकेदार के चरित्र प्रमाण पत्र अथवा हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त हो जाती है, तो उसे वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व नया चरित्र/हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा चरित्र/हैसियत प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने की दिनांक से नया चरित्र/हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक तक की अवधि में सम्बन्धित ठेकेदार का पंजीकरण स्वतः निलम्बित रहेगा व इस अवधि में ठेकेदार निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा।
2. पंजीकरण, उच्चीकरण व नवीनीकरण 02 वित्तीय वर्ष हेतु किया जाना है। पंजीकरण/उच्चीकरण/नवीनीकरण हेतु निर्धारित शुल्क प्रशासनिक अनुमोदन के पश्चात् ही जमा कराये जायेंगे, जिसकी प्रति आवेदन के समय आवेदन शुल्क (रू0 500 + 18 प्रतिशत जी0एस0टी0) एवं प्रोसेसिंग शुल्क (श्रेणीवार) जमा कराया जाना है। पंजीकरण/उच्चीकरण/नवीनीकरण शुल्क जमा कराने के पश्चात् उसकी एक प्रति सम्बन्धित वैयक्तिक सहायक (तकनीकी) कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

सिविल/विद्युतीकरण के कार्य हेतु .... श्रेणी में पंजीकरण/नवीनीकरण वर्ष 2025–26 एवं 2026–27

आवेदन–पत्र

सेवा में, आवेदन पत्र का क्रमांक :–

मुख्य अभियन्ता,
मुरादाबाद विकास प्राधिकरण,
मुरादाबाद

1– आवेदक ठेकेदार/फर्म का नाम ....
टिक करें – 1. व्यक्ति/प्रोपराईटर ☐ 2. अविभाजित हिन्दू परिवार ☐ 3. इण्डियन पार्ट्नरशिप एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म ☐ 4. कम्पनी एक्ट 2013 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी ☐ 5. अन्य ☐

(स्वामित्व/पार्ट्नरिशप/पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) (संलग्नक सं0 ....)

2– आवेदक ठेकेदार/फर्म का पता ....

....

मोबाईल नम्बर – ....

3– पार्ट्नरशिप/कम्पनी फर्म की स्थिति में –

क्र0सं0	पार्ट्नर/डायरेक्टर का नाम	पिता का नाम	पता

4–	आवेदक ठेकेदार फर्म के मालिक/पार्टनर के प्राधिकरण में अन्य किसी ठेकेदार फर्मो में मालिक अथवा पार्टनर नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र।	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........
5–	प्रोपराईटर फर्म/पार्ट्नरशिप फर्म/कम्पनी के किसी भी पार्टनर के निकट के रिश्तेदार/ब्लड रिलेशन के मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत् नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र।	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........
6–	दो नवीनतम फोटो (समस्त भागीदारों की)	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........
7–	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........
8–	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र एवं सत्यापित निवास स्थान व पता।	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........
9–	आयकर विभाग से जारी फर्म/कम्पनी का पैन नम्बर एवं विगत 03 वित्तीय वर्ष का आई0टी0आर0 व बैंलेन्स शीट की छायाप्रति।	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........
10–	जी0एस0टी0 का पंजीकरण।	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........
11–	श्रम संविदा (विनियमन एवं उत्सादन) अधिनियम 1970 एवं नियमावली 1975 के प्राविधानों के अन्तर्गत पंजीयन प्रमाण–पत्र।	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........
12–	विद्युतीकरण के कार्यो के लिये उ0प्र0 राज्य विद्युत सुरक्षा परिषद् के अनुमोदित लाईसेंस की स्वप्रमाणित छायाप्रति।	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........
13–	पिछले चार वर्षो में किये गये निर्माण/विकास कार्यो के विवरण की सूची।	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........
14–	अनुभव प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........

15— अनुभव प्रमाण—पत्र का विवरण :—

क्र0सं0	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष	धनांक

16—	निर्माण कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी की सूची का नोटरी से सत्यापित शपथ—पत्र रू0 100/— के स्टाम्प पेपर पर।	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........
17—	स्टाफ की संख्या, नाम व पते का नोटरी से सत्यापित शपथ—पत्र रू0 100/—के स्टाम्प पेपर पर।	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........
18—	कार्यरत् डिग्री/डिप्लोमा धारक अभियन्ता की डिग्री/डिप्लोमा की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं उनके नियुक्ति—पत्र की प्रतिलिपि व फोटो।	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........
19—	किसी अन्य राजकीय विभाग/सार्वजनिक प्रतिष्ठान से डिबार/काली सूची में दर्ज नहीं होने सम्बन्धी शपथ पत्र तथा बार काउंसिल का सदस्य न होने का शपथ पत्र।	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........
20—	इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि प्रस्तुत किये गये अभिलेख यदि असत्य पाये जाते है, तो फर्म के पंजीकरण को निरस्त करते हुए विभाग विधिक कार्यवाही करने को स्वतंत्र होगा।	संलग्न हैं/ नहीं है	संलग्नक सं0.........

<u>आवेदक</u>

नाम —	....	....	....	....
पता —	....	....	....	....
	....	....	....	....
	....	....	....	....
पैन कार्ड नं0	....	....	....	....
जी0एस0टी0 नं0	....	....	....	....
ई—मेल —	....	....	....	....
मोबाईल नं0	....	....	....	....
	फोटो	फोटो	फोटो	फोटो
हस्ताक्षर				

नोट :— 1. अधिक विवरण होने पर अलग से शीट संलग्न करें।
2. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करने होंगे।

दिनांक :— ....

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में ठेकेदारों के पंजीकरण/नवीनीकरण हेतु नियम व शर्तें

1. पंजीकरण हेतु आवेदक ठेकेदारों की परिभाषा में व्यक्ति, अविभाजित हिन्दू परिवार, इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत फर्म, पब्लिक अथवा प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी आदि शामिल है।
2. उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम, जल निगम अथवा अन्य प्रादेशिक एवं भारत सरकार के अधीन कार्यदायी संस्थायें/उपक्रम पंजीकरण से मुक्त हैं।
3. आवेदनकर्ता को राज्य विधि काउन्सिल में पंजीकृत नहीं होना चाहिए।
4. कोई व्यक्ति जिसने उ0प्र0 में किसी भी विकास प्राधिकरण में सेवा की हो, सेवा निवृत्ति की् 02 वर्ष की अवधि समाप्त होने के पश्चात् ही, पंजीकरण हेतु पात्र होगा।
5. एक व्यक्ति एम0डी0ए0 में पंजीकृत केवल एक ही फर्म में मालिक/पार्टनर हो सकता है। ठेकेदार का पंजीकरण/नवीनीकरण एक ही फर्म का किया जायेगा। यदि एम0डी0ए0 में पंजीकृत किसी फर्म का मालिक/पार्टनर अन्य फर्म में भी मालिक/पार्टनर पाया जाता है, तो जो फर्म बाद में पंजीकृत होगी, उस फर्म का पंजीकरण/नवीनीकरण निरस्त कर दिया जायेगा।
6. यदि कोई ठेकेदार सिविल एवं विद्युत दोनों कार्य हेतु पात्रता रखता है, तो उसे पंजीकरण हेतु पृथक–पृथक आवेदन करना होगा।
7. प्रार्थना पत्र के साथ नवीनतम फोटो संलग्न करनी होगी।
8. फर्म को आयकर कार्यालय द्वारा निर्गत पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करनी होगी।
9. परिशिष्ट–3 के अनुसार आवश्यक न्यूनतम हैसियत का प्रमाण पत्र, जो फर्म के नाम से अथवा फर्म के प्रोपराईटर अथवा पार्टनर के नाम से कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्गत हो एवं वैधता अवधि के अन्तर्गत हो, प्रस्तुत करना होगा।
10. आवेदक फर्म को नोटरी से सत्यापित शपथ–पत्र, कि उसे किसी अन्य राजकीय विभाग/राजकीय संस्थान/सार्वजनिक प्रतिष्ठान द्वारा डिबार/काली सूची में दर्ज नहीं किया गया है, देना अनिवार्य होगा।
11. आवेदक को इस आशय का शपथ–पत्र देना होगा कि उसका कोई भी पार्टनर अथवा निकट का रिश्तेदार/ब्लड रिलेशन मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में कार्यरत नहीं हैं। इस सन्दर्भ में ''रिश्तेदार'' का तात्पर्य माता, पिता, भाई, बहन, पति–पत्नी, पुत्र–पुत्री, जीजा, साला, चाचा, ताऊ, मामा, मौसा, फूफा, भांजा एवं चचेरा/फूफेरा/ममेरा/मौसेरा भाई तथा इन सभी के Corresponding Inlaws से होगा। यदि किसी भी समय इसके विपरीत तथ्य पाया गया तो ठेकेदार का पंजीकरण निरस्त करते हुए फर्म को काली सूची में डाल दिया जायेगा।

11(अ)– आवेदनकर्ता को प्रस्तर–11 में उल्लेखिंत शर्तों के अतिरिक्त एक शपथ पत्र इस आशय से भी देना होगा कि उस का कोई संबन्धी जैसा कि प्रस्तर 11 में उल्लिखित है किसी फर्म या कम्पनी में भागीदार अथवा डायरेक्टर नही है जो मुरादाबाद विकास प्राधिकरण मुरादाबाद में पंजीकृत ठेकेदार हो। यदि ऐसा है तो उसे समस्त विवरण अपने रिश्तेदार की फर्म अथवा कम्पनी का उल्लेख अपने आवेदन के साथ वर्णित करना आवश्यक होगा, साथ ही आवेदक को यह भी घोषणा पत्र देना आवश्यक होगा कि प्राधिकरण द्वारा जारी निविदा में जिसमें वह भाग ले रहा है उसमें उसके रिश्तेदार संबन्धी या उसकी फर्म या कम्पनी भाग नहीं लेगी। इसके विपरीत यदि यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा प्राधिकरण में इन तथ्यों को छिपाया गया है अथवा किसी समय इनकी अवहेलना की गई है तो प्राधिकरण को अधिकार होगा कि वह आवेदक का पंजीकरण निरस्त कर दे और उसके पक्ष में यदि कोई कार्य आवंटित है तो उसको भी समाप्त करते हुये उसकी जमा धनराशि को प्राधिकरण जब्त कर लेगा।

11(ब)– आवेदक या पंजीकृत किए जाने वाले ठेकेदार पर कंप्टीशन एक्ट 2002 के समस्त प्रावधान लागू होंगे और उनकी अवहेलना करने पर प्राधिकरण को सम्बन्धित ठेकेदार के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार होगा।

12. ठेकेदार द्वारा आयकर विभाग में दाखिल पिछले वर्ष के आयकर रिटर्न की सत्यापित छायाप्रति एवं बैलेन्स शीट देनी होगी।
13. विद्युतीकरण के कार्यो के लिए उ0प्र0 राज्य विद्युत सुरक्षा परिषद से अनुमोदित लाईसेंस लेना अनिवार्य होगा।
14. ठेकेदार द्वारा G.S.T. विभाग में पंजीकरण का सर्टिफिकेट देना होगा।
15. अनुभव प्रमाण पत्र :– विभिन्न श्रेणियों में पंजीकरण हेतु ठेकेदार/फर्म को राजकीय विभागों/राजकीय संस्थाओं में किये गये कार्य संतोषजनक रूप से करने का निम्नानुसार अनुभव होना चाहिए एवं जिसका प्रमाण–पत्र न्यूनतम सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता स्तर द्वारा निर्गत किया होना चाहिए।

क्र0सं0	श्रेणी	आवश्यक न्यूनतम अनुभव
(1)	(2)	(3)
1	''ए+''	गत 06 वर्षो में कम से कम रू0 500 लाख के कार्यो का संतोषजनक सम्पादन जिसमें से 02 कार्य रू0 100 लाख (प्रत्येक) से अधिक मूल्य के हो।
2	''ए''	गत 06 वर्षो में कम से कम रू0 200 लाख के कार्यो का संतोषजनक सम्पादन जिसमें से 02 कार्य रू0 50 लाख (प्रत्येक) से अधिक मूल्य के हो।
3	''बी''	गत 06 वर्षो में कम से कम रू0 50 लाख के कार्यो का संतोषजनक सम्पादन जिसमें से 02 कार्य रू0 15 लाख (प्रत्येक) से अधिक मूल्य के हो।
4	''सी''	गत 06 वर्षो में कम से कम रू0 25 लाख के कार्यो का संतोषजनक सम्पादन जिसमें से 02 कार्य रू0 05 लाख (प्रत्येक) से अधिक मूल्य के हो।
5	''डी''	अनुभव आवश्यक नहीं

16. बी0ई0 / बीटेक(सिविल) एवं समकक्ष डिग्रीधारकों का पंजीकरण प्रोपराईटर फर्म के रूप में बिना किसी अनुभव के ''बी'' श्रेणी में एवं डिप्लोमाधारी सिविल के अभ्यर्थियों का पंजीकरण बिना किसी अनुभव के ''सी'' श्रेणी में किया जा सकता है। किसी फर्म के पार्टनर होने की दशा में यह लागू नहीं होगा।
17. परिशिष्ट संख्या–1 के अनुसार न्यूनतम आवश्यक स्टाफ फर्म में कार्यरत् होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। स्टाफ की डिग्री / डिप्लोमा की प्रमाणित प्रतिलिपि, नियुक्ति पत्र की प्रतिलिपि व फोटो भी शपथ पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करने होंगे।
18. फर्म / ठेकेदार द्वारा उनके पास निर्माण हेतु आवश्यक उपलब्ध मशीनरी का विवरण परिशिष्ट–2 के अनुसार शपथ पत्र पर प्रस्तुत करना होगा।
19. नवीन पंजीकरण हेतु आवेदन के समय आवेदन पुस्तिका शुल्क (रू0 500 मात्र + 18% जी0एस0टी0) के अतिरिक्त प्रोसेसिंग शुल्क निम्न तालिका के अनुसार देय होगा। बिना प्रोसेसिंग शुल्क के पंजीकरण पर विचार नहीं किया जायेगा। पंजीकरण / नवीनीकरण की स्वीकृति उपरान्त पंजीकरण / नवीनीकरण शुल्क निम्नानुसार देय होगा, जो निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा कराना अनिवार्य होगा।

क्र0सं0	श्रेणी	प्रोसेसिंग शुल्क	पंजीकरण शुल्क	नवीनीकरण शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	''ए+''	रू0 6,000 / –	रू0 30,000 / –	रू0 15,000 / –
2	''ए''	रू0 4,800 / –	रू0 24,000 / –	रू0 12,000 / –
3	''बी''	रू0 2,400 / –	रू0 18,000 / –	रू0 9,000 / –
4	''सी''	रू0 1,200 / –	रू0 12,000 / –	रू0 6,000 / –
5	''डी''	रू0 600 / –	रू0 6,000 / –	रू0 3,000 / –

पंजीकरण / नवीनीकरण निर्धारित वित्तीय वर्ष में 31 मार्च तक मान्य होगा। निर्धारित अवधि में शुल्क न जमा कराने की स्थिति में आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

नोट :– निविदा आमंत्रण सूचना में ''विशिष्ट श्रेणी'' में वर्गीकृत कार्य हेतु ऐसे सफल निविदादाता, जो प्राधिकरण में पूर्व पंजीकृत नहीं है, को पंजीकरण कराने पर कार्य की श्रेणी के अनुसार शुल्क देय होगा।

20. यदि कोई ठेकेदार / फर्म गत वर्ष में अपना नवीनीकरण नहीं करा पायी थी, तो गत् वर्ष का नवीनीकरण शुल्क एवं निम्नवत् अर्थदण्ड जमा कराते हुए नवीनीकरण हेतु आवदेन पत्र देना होगा। एक वर्ष से अधिक नवीनीकरण न कराये जाने पर पुनः पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा।

श्रेणी		अर्थदण्ड
1. 'ए+'	–	रू0 10,000.00
2. 'ए'	–	रू0 7,000.00
3. 'बी'	–	रू0 4,750.00
4. 'सी'	–	रू0 3,000.00
5. 'डी'	–	रू0 1,200.00

21. प्राधिकरण में किसी श्रेणी में पूर्व पंजीकृत फर्म के वांछित श्रेणी में उच्चीकरण/निम्नीकरण हेतु उस श्रेणी के पंजीकरण हेतु आवेदन करना होगा। आवेदन में पूर्व पंजीकरण का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
22. आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेख नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करने होंगे।
23. प्रत्येक वित्तीय–वर्ष के आरम्भ में माह–अप्रैल में जब तक कि पिछले से पंजीकृत ठेकेदारों के नवीनीकरण अथवा नये ठेकेदारों के पंजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती, तब तक विभिन्न श्रेणियों में पहले से पंजीकृत तथा नये पंजीकरण हेतु आवेदन करने वाले सभी ठेकेदार जिन्होनें नवीनीकरण/पंजीकरण हेतु सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर दी हैं, निविदा क्रय/डालने हेतु अधिकृत होंगे।
24. पंजीकृत ठेकेदार को नियमावली, विनियमों, उपविधियों, शासन के सामान्य और विशिष्ट निर्देशों तथा आदेशों, प्राधिकरण की सामान्य शर्तो, निर्देशों का पूर्णतयाः पालन करना अनिवार्य एवं बाध्यकारी होगा। निविदा, अनुबन्ध, स्टाम्प ड्यूटी, जी0एस0टी0, लेबर सैस, आयकर एवं अन्य के सम्बन्ध में विकास प्राधिकरण अथवा शासन द्वारा जारी निर्देशों अथवा उपर्युक्त नियमों के संशोधन ठेकेदार को मान्य होगा।
25. श्रम संविदा (विनियमन एवं उत्पादन) अधिनियम 1970 एवं नियमावली 1975 के प्राविधान के अन्तर्गत पंजीकरण, श्रमिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन की देयता एवं नियमावली के अन्तर्गत अनुमन्य सुविधायें अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।
26. ठेकेदार निविदा स्वीकृति के पश्चात् उस कार्य को किसी भी दशा में सबलेट नहीं कर सकेगा।
27. विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित सभी कार्यवाही जैसे निविदा क्रय करना, अनुबन्ध करना एवं देयको आदि पर हस्ताक्षर सम्बन्धित ठेकेदार अथवा उसके द्वारा अधिकृत, कोई एक व्यक्ति ही करेगा, परन्तु अधिकृत व्यक्ति के सम्बन्ध में दिये गये अधिकार पत्र के साथ शपथ पत्र देना होगा।
28. निर्माण कार्यो पर निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तो के अनुसार वांछित मशीनरी व तकनीकी स्टाफ रखना होगा।
29. पंजीकृत ठेकेदारों को विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत आचरण करने पर जैसे कि कार्य की गुणवत्ता खराब करना, कार्य जानबूझकर निर्धारित सयमावधि में पूरा न करना, तथ्यों को छुपाकर विभाग को गुमराह करना, विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को डरा धमकाकर कार्य करना, प्राधिकरण के अभिलेखों से कपटपूर्ण कार्य करना तथा अभद्र व्यवहार करना आदि पर फर्म को ब्लैक–लिस्ट करने, काली सूची में दर्ज करने, युक्तियुक्त अर्थदण्ड लगाने तथा निविदाओं में प्रतिभाग करने से रोक लगाने का अधिकार मुख्य अभियन्ता/सचिव/उपाध्यक्ष को होगा। फर्म के प्रोपराइटर अथवा भागीदार पुनः पंजीकरण हेतु पात्र नहीं होंगे तथा न किसी फर्म के भागीदार हो सकेंगे।
30. यदि कोई फर्म/ठेकेदार प्राधिकरण द्वारा ब्लैक–लिस्ट कर दी जाती है, तो इस फर्म के मालिक या कोई पार्टनर यदि किसी अन्य फर्म का पार्टनर या मालिक है, तो वह फर्म भी स्वतः ब्लैक लिस्ट हो जायेगी। ठेकेदार द्वारा निविदा डालने के पश्चात् प्रथम न्यूनतम होने पर कार्य करने में किसी भी स्थिति में असमर्थता दर्शाने पर जमानत धनराशि जब्त करते हुए न्यूनतम 06 माह तक आगामी निविदाओं में प्रतिभाग करने से प्रतिबन्धित रहेंगे।
31. पंजीकरण की किसी भी शर्त को बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त, सम्मिलित अथवा संशोधित/शिथिल करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण में निहित है।
32. आवेदन–पत्र के साथ वांछित अभिलेख न जमा करने पर आवेदन–पत्र निरस्त कर दिया जाएगा, परन्तु अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु एक या अधिक अवसर प्रदान करने का अधिकार मुख्य अभियन्ता/सचिव/उपाध्यक्ष, मु0वि0प्रा0 को होगा।
33. पंजीकरण/नवीनीकरण के आवेदन–पत्र को बिना कारण बताये निरस्त/रद्द करने का अधिकार उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद में निहित है।
34. मुरादाबाद विकास प्राधिकरण हेतु प्राप्त उपाध्यक्ष को यह अधिकार प्राप्त है कि वह विवाद की मध्यस्थता स्वयं करें अथवा प्राधिकरण के मुख्य अभियन्ता अथवा किसी अन्य अधिकारी को मध्यस्थता हेतु नियुक्त कर दें। इस प्रक्रिया में अन्तिम निर्णय उपाध्यक्ष का मान्य होगा।
35. किसी भी विवाद में उपाध्यक्ष, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

उपरोक्त सभी शर्त एवं नियम मुझे/हमें मान्य है।

आवेदक के हस्ताक्षर एवं नाम

आवेदक का नाम – ....

स्थायी पता – ....

....

पत्र व्यवहार का पता – ....

....

मोबाईल नं0 ....

हस्ताक्षर ....

परिशिष्ट संख्या–1					
न्यूनतम आवश्यक तकनीकी स्टॉफ					
श्रेणी	ए+ श्रेणी	'ए' श्रेणी	'बी' श्रेणी	'सी' श्रेणी	'डी' श्रेणी
सिविल	एक सिविल इंजीनियर डिग्री होल्डर एवं 02 सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर एवं लाईसेंस्ड प्लम्बर	एक सिविल इंजीनियर डिग्री होल्डर एवं 01 सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर एवं लाईसेंस्ड प्लम्बर	एक सिविल इंजीनियर डिग्री अथवा डिप्लोमा होल्डर एवं लाईसेंस्ड प्लम्बर	एक सिविल इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर	–
विद्युत	एक विद्युत इंजीनियर डिग्री होल्डर एवं 02 विद्युत इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर व लाईसेंस्ड इलैक्ट्रीशियन	एक विद्युत इंजीनियर डिग्री होल्डर एवं 01 विद्युत इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर व लाईसेंस्ड इलैक्ट्रीशियन	एक विद्युत इंजीनियर डिग्री होल्डर अथवा 01 विद्युत इंजीनियर डिप्लोमा होल्डर एवं लाईसेंस्ड इलैक्ट्रीशियन	एक लाईसेंस्ड इलैक्ट्रीशियन	–

परिशिष्ट संख्या–2						
निर्माण कार्यो पर विभिन्न मशीनरी आदि की सूचना :–						
क्र0सं0	मशीनरी का नाम	'ए+' श्रेणी	'ए' श्रेणी	'बी' श्रेणी	'सी' श्रेणी	'डी' श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	कंकरीट मिक्सर	2	2	1	1	–
2	वाईब्रेटर्स (प्लेट एवं पिन)	3	3	2	1	–
3	पम्प्स	2	2	1	1	–
4	शटरिंग (भवन निर्माण के लिए)	500 वर्गमी0	500 वर्गमी0	200 वर्गमी0	100 वर्गमी0	–
5	डीजल विनचिस 65 टन क्षमता का	2	2	1	–	–
6	डीजल जनरेटर सेट 25 किलोवाट (सेतु के लिए)	1	1	–	–	–
7	ट्रैक्टर्स (केवल सड़क के लिए)	1	1	–	–	–
8	शीप फुट रोड रोलर (केवल सड़क के लिए)	2	2	1	–	–

	परिशिष्ट संख्या–3		
क्र0सं0	कार्य की धनराशि (रूपये में)	श्रेणी	पंजीकरण हेतु आवश्यक हैसियत प्रमाण पत्र
(1)	(2)	(3)	(4)
1	200 लाख से अधिक	'ए+'	रू0 75.00 लाख
2	50 लाख से अधिक व 200 लाख तक	'ए'	रू0 50.00 लाख
3	25 लाख से अधिक व 50 लाख तक	'बी'	रू0 30.00 लाख
4	10 लाख से अधिक व 25 लाख तक	'सी'	रू0 10.00 लाख
5	10 लाख तक	'डी'	रू0 5.00 लाख

नोट :– आवेदन पत्र के साथ केवल पुस्तिका शुल्क एवं प्रक्रिया शुल्क जमा करना होगा।

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, मुरादाबाद

दिल्ली रोड, सेक्टर–13, नया मुरादाबाद योजना, मुरादाबाद, उ0प्र0–244001

Website :- www.mdamoradabad.up.gov.in **E-mail :- mrdda@nic.in**